

# बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू अर्जन शाखा)

## अधिसूचना

संख्या 15/डी०एल०ए०, .....रा० दिनांक - 19.08.13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- इगुना, थाना नं० 310 अंचल मानपुर थाना मुफस्सिल, जिला-गया के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सीमा सुरक्षा बल क्वार्टर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसके लिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वाक्त ग्राम- इगुना, थाना नं० 310 अंचल मानपुर थाना मुफस्सिल, जिला-गया के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक कमोवेश रकवा 47.97 एकड़ होता है जिसका सर्व खेसरा निम्नांकित है -  
पूर्ण खेसरा:- 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 76/725, 90/727, 21/731

अंश खेसरा :- 3, 57, 69

चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर - मौजा- बारागन्धार, थाना नं० 311

दक्षिण - मौजा सुढेडी थाना नं० 318

पूरब - नाला


पश्चिम - 57 पूर्ण खेसरा, 6, 55, 58 सिवाना गन्धार

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1884 की धारा 4 के उपबन्धों के अधिन (यथा बिहार अधिनियम सन् 1961 संशोधित अधिनियम (1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसको इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया के कार्यालय में देखा जा सकता है बिहार सरकार जिला भू अर्जन पदाधिकारी, गया और उनके कर्मचारी को भूमि पर जाने आने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के निश्चय किया है कि प्रयोजना का शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा-5ए के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
समाप्त,  
गया।

306  
सरकार के अवर सचिव

प्रति

ज्ञापांक संख्या-15/डी0 एल0 ए0-गया (सीमा सुरक्षा बल)-05/13 - 2009 /रा०

ज्ञापांक ...../डी०एल०ए०, महुँन पथ...../रा० दिनांक - 19-08-13

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को प्रारूप की तीन प्रतियों में सी०डी० सहित दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू अर्जन पदाधिकारी, गया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, गया को जिला गजट को अगला असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 प्रतियों विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/अपर समाहर्ता/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव